पत्र संख्या-3(ख)/ पदोन्नति-आ0 पद ग्रेड-1/ पदोन्नति/ वाहन चालक/ 2024-25 // 6079 // राज्य कर,

कार्यालय- आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 18 मार्च, 2025

::आदेश::

उत्तर प्रदेश कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-13/12/93-का-1-2013 दिनांक 08-05-2013 के क्रम में संस्थागत वित्त एवं कर निबन्धन अनुभाग-3 के पत्र संख्या-493/11-3-14-125/03 दिनांक 23-05-2014 में दिये गये प्राविधानानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर चयन वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित कार्मिकों को उनसे कनिष्ठ कार्मिकों को की गयी पदोन्नति की तिथि दिनांक 07-10-2024 (चयन वर्ष 2024-25) से वाहन चालक ग्रेड-2 (वेतन बैण्ड-1-5200-20200 ग्रेड पे-2800) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान की जाती है। "नो वर्क नो पे" के सिद्धान्त के आधार पर इनको उक्त नोशनल पदोन्नति के लिए कोई एरियर आदि का भुगतान देय नहीं होगा।

क्र0 सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम /	पिता का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान
1	225	श्री राधेश्याम वर्मा	स्व0 डिप्टी लाल	बाराबंकी
2	226	मो0 जुबैर	मो0 जीमरूद्दीन	लखनऊ
3	251	श्री संतोष कुमार	श्री राजकुमार शंखवार	झांसी
4	253	श्री शमशेर अली अंसारी	श्री आशिक अली अंसारी	जौनपुर
5	255	श्री मनोज गुप्ता	स्व0 राम प्रसाद	कानपुर

2- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि पदोन्नत कर्मचारी को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए एवं आवश्यक कार्यवाही करते हुये उक्त की सूचना मुख्यालय उपलब्ध करायें।

3- सेवा अभिलेखों के आधार पर यदि उक्त वाहन चालक के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य बाद में प्रकाश में आता है तो उसके बारे में किया गया पदोन्नति आदेश प्रभावी नही होगा तथा इसकी सूचना सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्यालय प्रेषित की जायेगी।

ह0/
(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त, ग्रेड-1 राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2- सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3- आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
4- सम्बन्धित उपायुक्त (प्रशा0)/ सहायक आयुक्त (ए)/ आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर उत्तर प्रदेश।
5- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- सम्बन्धित कर्मचारी के नाम से।
7- सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका हेतु।

18/03/2025
(रवि शेखर सिंह)
संयुक्त आयुक्त (स्था0अरा0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।